उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 दिनांक
Ref. No H-70083 /CL/413/DEMP/2021 Date- 03-1-22

To,

Shri L.N. Soni
PPS to Hon'ble Chairman,
Oversight Committee NGT, U.P
Lucknow.

Sub: Updated Compliance Status of the orders of Hon'ble NGT passed in O.A. No. 360 of 2018, "Shri Nath Sharma Vs Union of India & others, order dated 29.01.2021 & 05.07.2021" regarding District Environment Plans (DEPs) and compliance Status on the recommendations made in the reports of Hon'ble Oversight Committee dated 03.12.2021 reg.

Sir,

In compliance to the order dated 29.01.2021 passed in O.A. No. 360 of 2018 in the matter of "Shri Nath Sharma Vs Union of India & others" the compliance Status have been forwarded to Hon'ble Oversight Committee vide E-mail dated 03.12.2021,06.12.2021 & 29.12.2021.

Further, the updated compliance status of the orders passed by the Hon'ble NGT regarding DEPs and compliance of recommendations made in the report of Hon'ble Oversight Committee dated 03.12.2021 is being forwarded with the requested that the same may be sent to be Registrar General, NGT, Principal Bench, New Delhi for placing it before Hon'ble NGT.

Therefore, the updated compliance Status is attached herewith for kind perusal and necessary action.

Encl:-AS above

Your Sincerely

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Copy to: The following for information & necessary action please:-

1. Registrar General, NGT, Principal Bench, New Delhi.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi.

Member Secretary

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ– 226010
दूरभाष 522-2720831, 2720828
फैक्स 0522 – 2720764, 2720676
ई–मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow – 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 – 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Updated compliance status of the orders of Hon'ble NGT orders in O.A. No.- 360/2018 "Shri Nath Sharma Vs Union Of India & Others order dated 29.01.2021& 05.07.2021" regarding District Environment Plans(DEPs) and compliance on the recommendations made in the report of Hon'ble Oversight committee, NGT, U.P. dated 03.12.2021.

Recommendation No.-1 The progress of preparation of District Environment Plans is very slow. After more than 6 months of close follow up, out of 75 Districts in the State only 09Districts have submitted the complete District Environment Management Plan. The Additional Chief Secretary, forest Environment and climate change and Member Secretary, UPPCB may be directed to take stringent measures and direct all the districts to prepare the District Environment Management Plan on priority and also fix the responsibility for inaction on their part.

Compliance-

1. Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. has issued direction vide dated 30.07.2021 to all the District Magistrate for preparation of District Environment Plan. The direction dated 30.07.2021 is annexed herewith as Annex-1.
2. Direction has issued by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. has issued direction vide dated 27.09.2021.The direction dated 27.09.2021 is annexed herewith as Annex-2.
3. Further, direction has issued by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. has issued direction vide dated 17.11.2021.The direction dated 17.11.2021is annexed herewith as Annex-3.
4. A letter dated 10.08.2021 has been issued from Member Secretary, UPPCB to all Regional Officers with directions to coordinate with concerned District Magistrate/ Chairman District Environment Committee and Divisional Forest Officers/ Convener District Environment Committee for preparation of DEPs. The letter dated 10.08.2021 is annexed herewith as Annex-4.

Latest progress of preparation of DEPs on dated 31.12.2021.

S. No.	Template for DEPs	Number of District Environment Plan Received					
1.	In new indicative template with budgetary information (Complete information)	Total 54					
		1.	Ghaziabad	19.	Ambedkar Nagar	37.	Hamirpur
		2.	Agra	20.	Jhansi	38.	Bijnor
		3.	Hapur	21.	Shajahanpur	39.	Mirzapur
		4.	Varanasi	22.	Unnao	40.	Kanpur Nagar
		5.	Kanpur Dehat	23.	LakhimpurKheri	41.	Mainpuri
		6.	Deoria	24.	Jalaun	42.	Farrukhabad
		7.	Balia	25.	Lucknow	43.	SantKabir Nagar
		8.	Sambhal	26.	Raebareli	44.	Pilibhit
		9.	Auraiya	27.	Amethi	45.	Mahoba
		10.	Chandauli	28.	Bhadohi	46.	Aligarh
		11.	Jaunpur	29.	Gonda	47.	Etwah
		12.	Ghazipur	30.	Banda	48.	Meerut
		13.	Kannauj	31.	Firozabad	49.	Shravasti
		14.	Basti	32.	Lalitpur	50.	Siddharth Nagar
		15.	Sultanpur	33.	Bulandshahr	51.	Bareilly
		16.	Rampur	34.	Gautam Buddha Nagar	52.	Mathura
		17.	Hardoi	35.	Sitapur	53.	Gorakhpur
		18.	Bahraich	36.	Baghpat	54.	Fatehpur
2.	In indicative template as prescribed	Total 10					
		1.	Saharanpur	6.	Budaun		
		2.	Moradabad	7.	Shamli		

	by CPCB (Budgetary Information Not Available)	3. Kaushambi; 4. Chitrakoot; 5. Prayagraj; 8. Muzaffarnagar; 9. Barabanki; 10. Balrampur
3.	Old Format (For indicative template as prescribed by CPCB is mailed on Dated 18.11.2021)	Total 10 1. Sonbhadra; 2. Kushinagar; 3. Azamgarh; 4. Hathras; 5. Pratapgarh; 6. Etah; 7. Amroha; 8. Mau; 9. Ayodhya; 10. Kasganj
4.	No information received	Total 01 1. Maharajganj

Recommendation No.-2 With reference to verification and improvement of District Environmental Management Plans submitted by 05 districts namely, Bahraich (UP), Bokaro (Jharkhand), Pune (Maharastra), Chamrajnagar (Karnataka), and Panchkula (Haryana) by the CPCB, it may be directed to complete this exercise as early as possible so that other districts also get the benefit of it in preparing their DEPs.

Compliance- CPCB vide its letter dated 24.05.2021 sent indicative template for preparation for DEPs along with the request to direct concerned Departments and District Magistrates for completion of DEPs. In context to the above letter Chief Secretary, State of Uttar Pradesh vide letter dated 10.06.2021 has issued specific directions to all District Magistrate for preparation of DEPs on the revised indicative templates send by CPCB, Delhi. It is further submitted that all the completed 54 DEPs mentioned as above.

Recommendation No.-3 As per the scheme of monitoring of Environment related issues pending before the Hon'ble NGT, the Chief Secretary reviews the progress of such matters every month. He may be directed to ensure timely and effective action in the districts in regard to preparation of DEMPs. Minutes of his meetings may also be shared with this Committee for transmission to the Hon'ble NGT.

Compliance- The Chief Secretary, State of Uttar Pradesh, on 3rd Monday of each month, hols a Review Meeting in hybrid mode with Addition Chief Secretaries/ Principle Secretaries of all the concerned Departments and with all District Magistrate of the State for monitoring the progress of compliance of various directions passed by Hon'ble NGT including preparation of DEPs. The monitoring protocol involves interactions with all District Magistrate & Senior Officials of concerned Departments.

Therefore it is submitted that the State is complying with the directions of Hon'ble NGT and Oversight Committee in letter and sprit and significant progress has been made for preparation of DEPs. Hon'ble Tribunal may appreciate that the structure of DEPs has been evolved and the State is expeditiously revised the DEPs. It is further submitted that Chief Secretary, State of Uttar Pradesh is periodically reviewing the progress of the DEPs.

Annexure -1

संख्या–एन.जी.टी.–266 / 81–7–2021

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु **परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक :30 जुलाई, 2021**

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 एवं 29.01.2021 का तत्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन.जी.टी.–188 / 81–7–2021, दिनांक 10.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 24 मई 2021 के माध्यम से प्रेषित टेंपलेट के प्रारूप के अनुसार **"डिस्ट्रिक्ट इन्वायरन्मेंट प्लान"** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ई–मेल soenvups @rediffmail.com एवं बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.in पर दिनांक 10.06.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु जनपद कौशाम्बी एवं फतेहपुर के अतिरिक्त अन्य जनपदों से अभी तक **"डिस्ट्रिक्ट एन्वायरमेन्ट प्लान"** प्राप्त नहीं हुए है। जनपद कौशाम्बी एवं फतेहपुर से प्राप्त **"डिस्ट्रिक्ट एन्वायरमेन्ट प्लान"** में भी टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार पूर्ण सूचनायें प्रेषित नहीं की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360 / 2018 श्रीनाथ शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत **'जिला पर्यावरण प्लान'** तैयार किये जाने के संबंध में दिनांक 05.07.2021 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"Chief Secretaries of all the States/UTs may ensure completion of District Environment Plans (DEPs) for all the Districts, in the light of orders of this Tribunal dated 26.9.2019, 19.3.2020, 29.1.2021 and the observations in the present order and upload the same on their respective websites positively by 31.10.2021".

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 31.10.2021 तक **"डिस्ट्रिक्ट एन्वायरमेन्ट प्लान"** की अनुपालन आख्या अपलोड की जानी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने जनपदों के "डिस्ट्रिक्ट एन्वायरमेन्ट प्लान" तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं बोर्ड को ई–मेल

ms@uppcb.in पर दिनांक 31.08.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याचिका की अगली सुनवाई दिनांक 08.12.2021 को निर्धारित है।

भवदीय,

ह०

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–एन.जी.टी.–266/81–7–2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्र संख्या–जी35800/सीएल/413/डीईएमपी/2021, दिनांक 15.07.2021 के संदर्भ में।

2– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।

Signed by मनोज सिंह
Date: 29-07-2021 16:33:26
Reason: Approved

Annexure-2

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–NGT-338 /81–7–2021

पत्रांक : ...../एम एस कैम्प/21
दिनांक : 27/9/21
6/10

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7 **लखनऊ : दिनांक :27-सितम्बर, 2021**

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 का तत्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन.जी.टी.–188/81–7–2021, दिनांक 10.06.2021 एवं पत्र संख्या–एन.जी.टी.–266/81–7–2021, दिनांक 30.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से प्रेषित इन्डीकेटिव टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' क्रमशः दिनांक 10.06.2021 एवं दिनांक 31.08.2021 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्रों के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अनुपालन में अभी तक मात्र 10 जनपद यथा फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, गाजीपुर एवं वाराणसी के अतिरिक्त अन्य जनपदों से उक्त नवीन प्रपत्र पर अभी तक 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त कुल 46 जनपदों से पुराने प्रपत्र पर 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' प्राप्त हुए हैं।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360/2018 'श्रीनाथ शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य' के अन्तर्गत 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2021 को आदेश पारित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"Chief Secretaries of all the States/UTs may ensure completion of District Environment Plans (DEPs) for all the Districts, in the light of orders of this Tribunal dated 26.09.2019, 19.03.2020, 29.01.2021 and the observations in the present order and upload the same on their respective websites positively by 31.10.2021".

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 31.10.2021 तक 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' की अनुपालन आख्या अपलोड की जानी है।

3– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न जनपदों से प्राप्त 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' का परीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी नवीन इन्डीकेटिव

टेम्पलेट एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गयी चेक लिस्ट के सापेक्ष किया गया है। 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' के नवीन प्रपत्र पर जिलेवार तैयार की गयी चेक लिस्ट में इंगित सूचनाओं का समावेश किया जाना वांछित है।

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित जनपदों हेतु संलग्न चेक लिस्ट में इंगित सूचनाओं के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' संशोधित/पूर्ण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ई—मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई—मेल ms@uppcb.in पर दिनांक 30.09.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन जनपदों द्वारा अभी तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी इन्डीकेटिव टेम्पलेट के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार कर प्रेषित नहीं किया गया है, वह जनपद भी दिनांक 20.10.2021 तक 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे तैयार किये गये 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' का परीक्षण कर ससमय यथोचित संशोधन कराया जा सके।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याचिका की अगली सुनवाई दिनांक 08.12.2021 को निर्धारित है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—NGT-338 (1)/81—7—2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्र संख्या—जी36413/सीएल/413/डीईएमपी/2021, दिनांक 21.09.2021 के संदर्भ में।

2— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से प्राप्त टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।

3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Annexure - 3

File No.81-7005(099)/224/2020-07-,

संख्या–एन0जी0टी0–379 / 81–7–2021

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,
उत्तर प्रदेश (संलग्न सूची के अनुसार)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7 **लखनऊ : दिनांक : 17 नवम्बर, 2021**

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 का तत्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन.जी.टी.–188 / 81–7–2021, दिनांक 10.06.2021, पत्र संख्या–एन.जी.टी.–266 / 81–7– 2021, दिनांक 30.07.2021 एवं पत्र संख्या–एन0जी0टी0–338 / 81– 7–2021, दिनांक 27.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से प्रेषित इन्डीकेटिव टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' क्रमशः दिनांक 10.06.2021, दिनांक 31.08.2021 एवं 20.10.2021 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्रों के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अनुपालन में 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार किये जाने का विवरण निम्नवत् है :–

निम्न 12 जनपद जिनके "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।	**निम्न 38 जनपद जिनके पुराने प्रपत्र में "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" प्राप्त हुए थे, परन्तु नये प्रपत्र में अभी तक "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" प्राप्त नहीं हुए है।**	**निम्न 17 जनपद जिनके नवीन प्रारूप के अनुसार "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" प्राप्त हुए है, परन्तु सूचनायें चेक लिस्ट के अनुसार अपूर्ण है (बजट इत्यादि से सम्बन्धित, चेक लिस्ट संलग्न)।**
बलरामपुर, बांदा, बस्ती, भदोही, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, रायबरेली एवं श्रावस्ती।	आगरा, कासगंस, सोनभद्र, लखीमपुर–खीरी, अलीगढ़, कुशीनगर, गोण्डा, झांसी, गौतमबुद्धनगर, शामली, जालौन, प्रतापगढ़, हाथरस, लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, बरेली, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, एटा, मैनपुरी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बागपत, मऊ, बिजनौर, अयोध्या, पीलीभीत, फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा एवं सन्तकबीर नगर।	मेरठ, सहारनपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, हापुड़, चित्रकूट, उन्नाव, रामपुर, बहराइच, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, बदायूँ, फर्रूखाबाद, अमेठी एवं मिर्जापुर।

शेष 08 जनपदों "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" नवीन प्रारूप पर चेक लिस्ट के अनुसार पूर्ण है।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–360 / 2018 'श्रीनाथ शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य' के अन्तर्गत 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2021 को आदेश पारित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"Chief Secretaries of all the States/UTs may ensure completion of District Environment Plans (DEPs) for all the Districts, in the light of orders of this Tribunal dated 26.09.2019,

19.03.2020, 29.01.2021 and the observations in the present order and upload the same on their respective websites positively by 31.10.2021".

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 31.10.2021 तक 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' की अनुपालन आख्या अपलोड की जानी है।

3— अतः इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने-अपने जनपदों हेतु "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान" तैयार कराते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई-मेल ms@uppcb.in पर दिनांक 18.11.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याचिका की अगली सुनवाई दिनांक 08.12.2021 को निर्धारित है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

Signed by मनोज सिंह
Date: 16-11-2021 19:36:55
Reason: Approved
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—एन0जी0टी0—379(1)/81—7—2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्र संख्या—जी36732/यूपीपीसीबी/सीएल/413/डीईएनपी/2021, दिनांक 08.11.2021 के संदर्भ में।

2— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से प्राप्त टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार 'डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान' तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।

3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. H64229/CL/413/D.E.M.P/2020-21

दिनांक
Date 10-8-21

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–360/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 एवं 29.01.2021 का तत्कालिक रूप से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–266/81–7–2021 दिनांक 30.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–360/2018 **''श्रीनाथ शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया''** के अन्तर्गत **''डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान''** तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2021 को आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुक्रम में शासन स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से प्रेषित टेम्पलेट के प्रारूप के अनुसार दिनांक 31.08.2021 तक **''डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान''** उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, जिसकी प्रति सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति को भी पृष्ठांकित है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जिला पर्यावरण समिति के संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी नामित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक, जिला पर्यावरण समिति से समन्वय स्थापित कर **''डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेन्ट प्लान''** तैयार किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग–17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,2,3,4,5,6 एवं 7, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

सदस्य सचिव